रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4825] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 6, 2018/अग्रहायण 15, 1940
No. 4825] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 6, 2018/AGRAHAYANA 15, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 2018

आय-कर

का.आ. 6054(अ).—केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 2 के खंड (42क) के स्पष्टीकरण 1 के खंड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (तेरहवाँ संशोधन) नियम, 2018 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. आय-कर नियम, 1962 के नियम 8कक में, उपनियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(4) ऐसी पूंजी आस्ति की दशा में, जो धारा 115ञछ की उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी विदेशी कंपनी की शाखा के संपरिवर्तन के परिणामस्वरूप भारतीय समनुषंगी कंपनी की संपत्ति बन गई है, ऐसी अवधि को सम्मिलित किया जाएगा, जिसमें आस्ति, विदेशी कंपनी की उक्त शाखा द्वारा और ऐसे पूर्ववर्ती स्वामी, यदि कोई हो, द्वारा धारित की गई थी, जिसने उक्त पूंजी आस्ति, धारा 49 की उपधारा (1) के खंड (i) या खड (ii) या खंड (iii) या खंड (iv) या धारा 115ञछ की उपधारा (1) में निर्दिष्ट अर्जन की रीति द्वारा अर्जित की थी ।"।

[अधिसूचना फा. सं. 86/2018, फा. सं. 370133/34/2016-टीपीएल(भाग)]

प्रवीण रावल, निदेशक (कर नीति और विधान)

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3 उपखंड (ii) अधिसूचना सं. का.आ. 969(अ) तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए हैं और अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1128(अ) तारीख 19 नवंबर, 2018 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया ।

—

.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.